तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
29.5.18	पत्रावली के मय कोर्ट में पेश हुई। वकील आवेदी उपस्थित। अभियोजी सं. 1 से 3 बावजूद तामील अनुपस्थित नहीं हैं उनके विरुद्ध पक्षीय कार्यवाही की जाती है। अभियोजी 4 अनुपस्थित। पत्रावली पेश नहीं चाहते। बहसदा सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहसदा पक्षगण किया गया। अ.प्र.अ. द्वारा स्वीकार किया जाता है तथा दिनांक 29.10.14 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को ता फैसला दावा स्थाई (Confirm) किया जाता। अभियोजी को ता फैसला दावा पाबन्द किया जाता है कि वे अ.प्र.सं. 313/18 वाले ग्राम सोंखर तहसील कुचामन के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति कायम रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संलग्नात की हो। सुनाया

SDOC